

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, छबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 3157 / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/8/2020

उप नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- सिवनी विकास योजना में उपांतरण की सूचना का म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन बाबत।

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, संचालनालय द्वारा तैयार की गई एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित सिवनी विकास योजना में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 के प्रावधानांतर्गत तत्संबंधी वैधानिक सूचना (हिन्दी) की पॉच-पॉच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि इसे आगामी म.प्र. साधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल

पृ0क्रमांक / / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर कृपया सूचनार्थ ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाडा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : mp-townplan@mp.gov.in

क्रमांक/

/वि.यो.496/नग्रानि/2020

भोपाल, दिनांक

2020

सिवनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सिवनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

- 1 आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर
- 2 कलेक्टर जिला सिवनी
- 3 उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाडा म.प्र.
- 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिवनी

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	सिवनी विकास योजना 2021	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या-

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।

